सत्यमेव जयते

भारत गणतंत्र सरकार
और
कज़ाखस्तान गणराज्य सरकार
के बीच
हवाई परिवहन करार

भारत गणतंत्र सरकार और कज़ाखस्तान गणराज्य सरकार जिन्हें इससे आगे संविदाकारी पक्ष कहा गया है,

जो 7 दिसम्बर, 1944 को शिकागो में हस्ताक्षर के लिये प्रस्तुत किये गए अंतरराष्ट्रीय सिविल विमानन अभिसमय के हस्ताक्षरकर्ता है,

जो अपने-अपने भू-भागों के बीच और उनसे परे अनुसूचित हवाई सेवाएं स्थिर करने के प्रयोजन से नागर विमानन के क्षेत्र में अपने परस्पर संबंधों को बढ़ाने और उक्त अभिसमय के अनुपूरक के रूप में एक करार को अंतिम रूप देना चाहते हैं,

निम्नानुसार सहमत हुए है :-

अनुच्छेद-1
परिभाषा

करार के प्रयोजन के लिये जब तक कि प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) "वैमानिकी प्राधिकारी" पद का आशय कज़ाखस्तान गणराज्य सरकार के संबंध में परिवहन मंत्रालय तथा भारत गणतंत्र सरकार के संबंध में नागर विमानन महानिदेशक या दोनों के संबंध में किसी ऐसे व्यक्ति या संस्था से है जिसे ऐसे कार्यों को करने के लिये प्राधिकृत किया गया है जो इस समय उक्त प्राधिकारियों द्वारा किये जा रहे हैं।

(ख) "विमान कंपनी" पद का आशय किसी ऐसे हवाई परिवहन उद्यम से है जो अंतरराष्ट्रीय हवाई सेवा प्रदान या प्रचालित करता है ।

(ग) "हवाई सेवा" पद का आशय यात्रियों के सार्वजनिक परिवहन के लिये विमान द्वारा निष्पादित किसी भी अनुसूचित हवाई सेवा से है।

(घ) "क्षमता" पद का आशय :

सत्यमेव जयते

§1§ विमान के संबंध में किसी मार्ग या उस मार्ग के किसी भाग पर उपलब्ध उस विमान के पेलोड से है,

§2§ निर्दिष्ट हवाई सेवा के संबंध में, किसी निश्चित समय पर किसी मार्ग या उस मार्ग के एक हिस्से पर एक विमान द्वारा प्रचालित आवृत्ति द्वारा गुणित, ऐसी सेवा पर प्रयुक्त विमान की क्षमता से है ।

§ड§ "अभिसमय" पद का आशय उस अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन अभिसमय से है जो शिकागो में 7 दिसम्बर, 1944 को हस्ताक्षर के लिये प्रस्तुत किया गया था और इसमें उक्त अभिसमय के अनुच्छेद 90 के अंतर्गत स्वीकार किया गया कोई भी अनुबंध एवं उसके अनुच्छेद 90 व 94 के अंतर्गत अनुबंधों में अथवा अभिसमय में किया गया कोई भी संशोधन जहाँ तक ये दोनों संविदाकारी पक्षों के लिये प्रभावी हो गए हों, शामिल है।

§च§ "नामित विमान कंपनी" पद का आशय ऐसी विमान कंपनी से है जो इस करार के अनुच्छेद 3 के अनुसार नामित और प्राधिकृत की गई है,

§छ§ "अंतरराष्ट्रीय हवाई सेवा" पद का आशय ऐसी हवाई सेवा से है जो एक से अधिक राष्ट्रों के ऊपर हवाई क्षेत्र से होकर गुजरती है,

§ज§ "यातायात से भिन्न प्रयोजनों के लिये रुकना" पद का आशय किसी ऐसे अवतरण से है जो यात्रियों, कार्गो या डाक को चढ़ाने अथवा उतारने से भिन्न अलग प्रयोजन के लिये किया गया हो,

§झ§ किसी राष्ट्र के संदर्भ में "भू-भाग" पद का आशय उस राष्ट्र के प्रभुसता के अधीन उसके समीपवर्ती भू-क्षेत्र और समुद्रीय सीमा से है ।

अनुच्छेद-2
यातायात अधिकार

1. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष दूसरे संविदाकारी पक्ष को इसके अनुबंध में निर्दिष्ट मार्गों पर अनुसूचित अंतर-राष्ट्रीय हवाई सेवाएँ स्थिर करने के प्रयोजन के लिए इस करार में विनिर्दिष्ट अधिकार प्रदान करता है। ऐसी सेवाओं और मार्गों को इसके बाद क्रमशः "सम्मत सेवाएँ" और "विनिर्दिष्ट मार्ग" कहा गया है।

2. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष अनुसूचित अंतरराष्ट्रीय हवाई सेवाओं के संबंध में दूसरे संविदाकारी पक्ष को निम्न-लिखित अधिकार मंजूर करता है :-

सत्यमेव जयते

(क) बिना उतरे हुए दूसरे संविदाकारी पक्ष के भू-भाग से होकर उड़ना,

(ख) यातायात से भिन्न प्रयोजनों के लिए दूसरे संविदाकारी पक्ष के भू-भाग में रूकना,

(ग) इस करार के उपबंधों के अधीन, किसी भी विनिर्दिष्ट मार्ग पर सम्मत सेवा का प्रचालन करते समय, प्रत्येक संविदाकारी पक्ष द्वारा नामित विमान कंपनी को दूसरे संविदाकारी पक्ष के भू-भाग में, इस करार के अनुबंध में उक्त मार्ग के लिये विनिर्दिष्ट स्थानों पर, अंतरराष्ट्रीय यातायात में यात्री, कार्गो या डाक को चढ़ाने और उतारने का अधिकार भी होगा।

3. इस करार में किसी भी बात का अर्थ यह नहीं समझा जाएगा कि एक संविदाकारी पक्ष की नामित विमान कंपनी को, दूसरे संविदाकारी पक्ष के भू-भाग में दूसरे स्थान को ले जाये जाने वाले डाक सहित यात्रियों, कार्गो को दूसरे संविदाकारी पक्ष के भू-भाग में ले जाने का विशेषाधिकार मिल गया है ।

अनुच्छेद-3
विमान कंपनी नामित करना

1. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष को लिखित रूप से विनिर्दिष्ट मार्गों पर सम्मत सेवाओं का प्रचालन करने के प्रयोजन के लिए दूसरे संविदाकारी पक्ष को एक अथवा दो विमान कंपनियां नामित करने का अधिकार होगा।

2. ऐसा नामांकन प्राप्त हो जाने के बाद, दूसरा संविदाकारी पक्ष, इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 3 और 4 के उपबंधों के अधीन, बिना विलंब के नामित विमान कंपनी को उपयुक्त प्रचालन प्राधिकार मंजूर करेगा।

3. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष को किसी भी नामित विमान कंपनी को लिखित रूप में वापस लेने और प्रतिस्थापित करने का भी अधिकार होगा।

4. किसी भी संविदाकारी पक्ष की नामित विमान कंपनी से दूसरे संविदाकारी पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारियों का इस बारे में समाधान करने की अपेक्षा की जा सकती है कि वह उन कानूनों और विनियमों के अधीन विहित शर्तों को पूरा करने के योग्य है जो सामान्यतः अंतरराष्ट्रीय विमान सेवाओं पर अभिसमय के उपबंधों के अनुरूप ऐसे प्राधिकारियों द्वारा लागू होते हैं।

5. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष को इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 2 में उल्लिखित प्रचालन प्राधिकार मंजूर करने से अस्वीकार करने या किसी भी नामित एयरलाइन द्वारा अनुच्छेद 2 में निर्दिष्ट उन अधिकारों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार होगा जहां उसका समाधान न हो कि नामित विमान कंपनी का वास्तविक स्वामित्व और प्रभावी नियंत्रण उस विमान कंपनी को नामित करने वाले संविदाकारी पक्ष या उसके राष्ट्रिकों में निहित नहीं है। इस

सत्यमेव जयते

पैराग्राफ के प्रयोजन के लिए "वास्तविक स्वामित्व और प्रभावी नियंत्रण" का आशय है कि किसी भी हालत में जहाँ नामित विमान कंपनी करार के अधीन अपनी सेवाएँ, किसी अन्य देश या सरकार अथवा राष्ट्रिकों की एयरलाइन के साथ कोई और करार करके प्रचालित करती है तो यह माना जाएगा कि इस विमान कंपनी को नामित करने वाले संविदाकारी पक्ष या उसके राष्ट्रिकों के पास उस विमान कंपनी का वास्तविक स्वामित्व और प्रभावी नियंत्रण नहीं है, जब तक कि संविदाकारी पक्ष या उसके राष्ट्रिकों के पास :-

§1§ नामित विमान कंपनी में अधिकांश शेयर-धारिता,

§2§ नामित विमान कंपनी के प्रबंध मंडल में प्रभावी नियंत्रण, और

§3§ सेवाओं के प्रचालन में प्रयुक्त विमानों और उपस्करों के बेड़े के बड़े भाग का स्वामित्व और उस पर प्रभावी नियंत्रण, न हो।

6. इस प्रकार नामित और प्राधिकृत विमान कंपनी किसी भी समय सम्मत सेवाओं का प्रचालन आरंभ कर सकती है बशर्ते कि अनुच्छेद 11 और 14 के उपबंधों का अनुपालन कर लिया गया हो।

अनुच्छेद-4
निलंबन और प्रतिसंहरण

1. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष को, दूसरे संविदाकारी पक्ष की नामित विमान कंपनी द्वारा इस करार के अनुच्छेद 2 में निर्दिष्ट अधिकारों के प्रयोग को रोक देने या प्रचालन प्राधिकार को प्रतिसंहृत करने अथवा ऐसी शर्तें लगाने का अधिकार होगा जो कि वह इन अधिकारों के प्रयोग के लिये आवश्यक समझे :

§क§ यदि वह संतुष्ट हो कि विमान कंपनी का अधिकांश स्वामित्व और प्रभावी नियंत्रण उसे नामित करने वाले संविदाकारी पक्ष या ऐसे संविदाकारी पक्ष के राष्ट्रिकों में निहित नहीं है, अथवा

§ख§ यदि वह विमान कंपनी इन अधिकारों को मंजूर करने वाले संविदाकारी पक्ष के कानूनों और विनियमों का पालन करने में असफल रहती है, अथवा

§ग§ यदि किसी भी प्रकार वह विमान कंपनी इस करार के अधीन निर्धारित शर्तों के अनुसार सम्मत सेवाओं का प्रचालन करने में अन्यथा असफल रहती है।

2. यदि कानूनों या विनियमों के और आगे उल्लंघन को रोकने की दृष्टि से इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 में उल्लिखित शर्तों का तत्काल प्रतिसंहरण, निलंबन या आरोपण अनिवार्य न समझा जाए तो ऐसे अधिकारों का प्रयोग दूसरे संविदाकारी पक्ष के साथ परामर्श करने के बाद ही किया जाएगा। ऐसी स्थिति में यह परामर्श किसी भी संविदाकारी पक्ष द्वारा इसके लिए किये गए अनुरोध की तारीख से साठ §60§ दिन की अवधि के भीतर शुरू होगा।

सत्यमेव जयते

अनुच्छेद-5
क्षमता संबंधी विनियम

सम्मत अनुसूचित हवाई सेवाओं पर प्रचालित की जाने वाली क्षमता निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी :-

(1) दोनों संविदाकारी पक्षों की नामित विमान कंपनियों को विनिर्दिष्ट मार्गों पर सम्मत सेवाओं के प्रचालन का उचित और समान अवसर प्राप्त होगा।

(2) सम्मत सेवाओं का प्रचालन करते समय, प्रत्येक संविदाकारी पक्ष की नामित विमान कंपनियां दूसरे संविदाकारी पक्ष की नामित विमान कंपनी के हित को ध्यान में रखेगी ताकि उस दूसरे संविदाकारी पक्ष की नामित विमान कंपनी द्वारा किसी संपूर्ण मार्ग या उसके किसी हिस्से पर उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं पर अनुचित प्रभाव न पड़े।

(3) संविदाकारी पक्षों की नामित विमान कंपनियों द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सम्मत सेवाओं का विनिर्दिष्ट मार्गों पर लोक परिवहन की आवश्यकताओं से निकट संपर्क होगा तथा विमान कंपनियां नामित करने वाले संविदाकारी पक्षों के भू-भाग और यातायात के अंतिम गंतव्य स्थानों के देशों के बीच यात्रियों, कार्गो और डाक के वहन हेतु मौजूदा एवं प्रत्याशित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये पर्याप्त क्षमता की व्यवस्था करना उसका प्रमुख उद्देश्य होगा।

(4) विमान कंपनियां नामित करने वाले राष्ट्र से भिन्न राष्ट्र के भू-भाग में निर्दिष्ट स्थानों पर विमान में यात्रियों, कार्गो और डाक के वहन के लिये व्यवस्था, सामान्य सिद्धांत के अनुसार की जाएगी और क्षमता निम्नलिखित से संबद्ध होगी :-

(क) उद्गम देश और गंतव्य देशों के बीच यातायात संबंधी आवश्यकताएँ,

(ख) उस भू-भाग के राष्ट्र की एयरलाइन द्वारा निर्धारित स्थानीय और क्षेत्रीय सेवाओं को ध्यान में रखते हुये उस इलाके की यातायात संबंधी आवश्यकताएँ जहां से होकर एयरलाइन सेवाएं चलाती है, और

(ग) सीधी एयरलाइन प्रचालनों की आवश्यकताएँ ।

(5) पूर्ववर्ती पैराओं में उल्लिखित सिद्धांतों के आधार पर प्रत्येक संविदाकारी पक्ष की नामित विमान कंपनियों द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली क्षमता और प्रचालित की जाने वाली सेवाओं की आवृत्ति के संबंध में दोनों संविदाकारी पक्षों के वैमानिक प्राधिकारियों के बीच सहमति होगी।

सत्यमेव जयते

§6§ दोनों में से किसी भी संविदाकारी पक्ष की नामित विमान कंपनी द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली क्षमता और/या प्रचालित की जाने वाली आवृत्ति में कोई भी वृद्धि मुख्य रूप से संविदाकारी पक्षों के भू-भाग के बीच यातायात की बढ़ती हुई आवश्यकताओं पर आधारित होगी और दोनों वैमानिकी प्राधिकारियों के बीच सहमति के अधीन होगी। ऐसी सहमति या समझौता होने तक, पहले से विद्यमान क्षमता और आवृत्ति संबंधी हकदारी लागू रहेगी।

अनुच्छेद-6

प्रयोक्ता प्रभार

1· प्रत्येक संविदाकारी पक्ष हवाई अड्डों और अन्य विमानन सुविधाओं का उपयोग करने के लिये सही और उचित शुल्क लगा सकता है या लगाने की अनुमति दे सकता है परन्तु यह शुल्क ऐसी ही अंतरराष्ट्रीय हवाई सेवाओं में लगी अन्य एयरलाइनों द्वारा अदा किये जा रहे शुल्क से अधिक नहीं होगा।

2· प्रत्येक संविदाकारी पक्ष अपने सक्षम वसूलीकर्ता संगठन और सेवाओं एवं सुविधाओं का उपयोग करने वाली नामित विमान कंपनियों के बीच तथा जहां व्यवहारिक हो, एयरलाइन प्रतिनिधि संगठनों के माध्यम से परामर्श को बढ़ावा देगा। उपयोग कर्ताओं को, इन शुल्कों में किसी भी परिवर्तन से संबंधी प्रस्तावों के बारे में समुचित नोटिस दिया जाना चाहिये ताकि परिवर्तन किये जाने से पूर्व वे अपने विचार व्यक्त कर सकें।

3· दोनों में से कोई भी संविदाकारी पक्ष, अपने सीमा-शुल्क, आप्रवासन, संगरोध तथा ऐसे ही विनियमों और अपने नियंत्रणाधीन हवाई अड्डों, वायुमार्ग हवाई यातायात सेवाओं और संबद्ध सुविधाओं को लागू करने के संबंध में, अपनी या अन्य किसी एयरलाइन को, ऐसी ही अंतरराष्ट्रीय हवाई सेवाओं में लगी दूसरे संविदाकारी पक्ष की एयरलाइन की तुलना में अधिमान्यता नहीं देगा।

अनुच्छेद-7

सीमा शुल्क और अन्य शुल्कों से छूट

1· दोनों में से किसी भी संविदाकारी पक्ष की नामित विमान कम्पनियों द्वारा अंतरराष्ट्रीय विमान सेवा में परिचालित विमान और उसमें चढ़ाए गए नियमित उपस्कर, ईंधन और स्नेहकों की सप्लाई और विमान भंडार §खाद्य, पेय और तम्बाकू सहित§ पर संविदाकारी पक्षों के नियमों और विनियमों के अधीन दूसरे संविदाकारी पक्ष के भू-भाग में प्रवेश करने पर सभी प्रकार के सीमा-शुल्क, निरीक्षण शुल्क और अन्य इसी तरह के शुल्कों से छूट होगी बशर्ते कि विमान में चढ़ाए गये उपस्कर और भंडार को उस समय तक रखा जाए जब तक कि उन्हें पुनः निर्यात न कर दिया जाए।

2· निष्पादित सेवा के अनुरूप प्रभारों के सिवाय निम्नलिखित भी ऐसे ही शुल्कों और करों से मुक्त रहेंगे :-

सत्यमेव जयते

§क§ किसी संविदाकारी पक्ष के सक्षम प्राधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट सीमाओं के भीतर, उस संविदाकारी पक्ष के भू-भाग में विमान में रखा गया विमान भंडार, जिसका उपयोग दूसरे संविदाकारी पक्ष की अंतरराष्ट्रीय विमान सेवा में लगे विमान में किया जाना हो,

§ख§ किसी भी संविदाकारी पक्ष के भू-भाग में प्रविष्ट अतिरिक्त पुर्जे जिनका उपयोग दूसरे संविदाकारी पक्ष की नामित विमान कम्पनी द्वारा अंतरराष्ट्रीय विमान सेवाओं के लिये प्रयुक्त विमान के अनुरक्षण और मरम्मत के लिये किया जाना हो,

§ग§ दूसरे संविदाकारी पक्ष की नामित विमान कंपनी द्वारा किसी विनिर्दिष्ट मार्ग पर प्रचालित किये जाने वाले विमान के लिये सप्लाई किये जाने वाला ईंधन और स्नेहक चाहे इस सप्लाई का उपयोग उस संविदा- कारी पक्ष के भू-भाग के ऊपर निष्पादित यात्रा में किया जाना है जहाँ इसे विमान में रखा गया है।

ऊपर उप-पैराग्राफ §क§,§ख§ और §ग§ में उल्लिखित सामग्री को सीमा-शुल्क के पर्यवेक्षण या नियंत्रण में रखा जाना अपेक्षित होगा।

3· दोनों में से किसी भी संविदाकारी पक्ष के विमान पर रखे गए नियमित उड़ानगत उपस्कर तथा सामग्री और भंडार, दूसरे संविदाकारी पक्ष के भू-भाग में, उस संविदाकारी पक्ष के सीमा- शुल्क प्राधिकारियों के अनुमोदन से ही उतारा जा सकेगा। प्रत्येक मामले में उसे उस समय तक, उक्त प्राधिकारियों के नियंत्रण में रखा जाएगा जब तक उसे पुनः निर्यात नहीं कर दिया जाता या सीमा-शुल्क विनियमों के अनुसार उनका अन्यथा निपटान नहीं कर दिया जाता ।

4· दोनों में से किसी भी संविदाकारी पक्ष के भू-भाग में, पूर्णतः दूसरे संविदाकारी पक्ष की नामित विमान कंपनी के उपयोग के लिये आयात की गई निम्नलिखित मदें और वस्तुएँ भी पारस्परिक आधार पर सभी सीमा-शुल्कों और/या करों से मुक्त रहेंगी :-

§क§ कार्यालय की स्थापना और उसके संचालन के लिये सामान, उपकरण अर्थात् भवन सामग्री, फर्नीचर, टाइपराइटर आदि,

§ख§ हवाई अड्डे के अंतर्गत उपयोग के लिये "टेलीटाइप-उपकरण और रेडियो वाद्य उपकरण या अन्य बेतार उपस्कर जैसे सभी प्रकार के दूर-संचार उपकरण।

§ग§ आरक्षण और प्रचालन संबंधी प्रयोजनों के लिये एयरलाइन कंप्यूटर प्रणालियाँ।

सत्यमेव जयते

अनुच्छेद-8
राष्ट्रीय विधियों की प्रयोज्यता

1. एक संविदाकारी पक्ष की विधियाँ और विनियम, जो अंतरराष्ट्रीय हवाई दिक्चालन में लगे विमानों के उसके भू-भाग में प्रवेश और प्रस्थान करने अथवा उसके भू-भाग में रहते हुये ऐसे विमान के प्रचालन तथा दिक्चालन को शासित करते हैं, दूसरे संविदाकारी पक्ष की नामित विमान कंपनी पर भी लागू होंगे।

2. एक संविदाकारी पक्ष के भू-भाग में यात्रियों, कर्मीदल,कार्गो और डाक, जैसे कि पासपोर्ट, सीमा-शुल्क, विदेशी मुद्रा और स्वास्थ्य एवं संगरोध को शासित करने वाले उस संविदाकारी पक्ष की विधियाँ और विनियम दूसरे संविदाकारी पक्ष की नामित विमान कंपनियों के विमान द्वारा वाहित यात्रियों, कर्मीदल, कार्गो और डाक पर उस समय लागू होंगे जब वे उक्त भू-भाग में हों।

अनुच्छेद-9
सीधा पारगमन यातायात

1. दोनों में से किसी भी संविदाकारी पक्ष के भू-भाग के पार सीधे पारगमन वाले यात्रियों, सामान, कार्गो और डाक पर जो (हिंसा, हवाई डकैती और स्वापक औषधियों की तस्करी के विरुद्ध सुरक्षात्मक उपायों के सिवाय) ऐसे प्रयोजनों के लिये आरक्षित हवाई अड्डे के क्षेत्र को न छोड़ रहे हों, सरलीकृत नियंत्रण के अधीन रहेंगे।

2. सीधे पारगमन में सामान, कार्गो और डाक सीमा-शुल्क और अन्य ऐसे ही करों से मुक्त रहेगा।

अनुच्छेद-10
विमानन सुरक्षा

1. अंतरराष्ट्रीय कानून के अंतर्गत अपने अधिकारों और दायित्वों के अनुरूप संविदाकारी पक्ष इस बात की पुष्टि करते है कि गैर-कानूनी हस्तक्षेप की कार्रवाई के खिलाफ नागर विमानन की सुरक्षा को बनाये रखने संबंधी उनका एक दूसरे के प्रति दायित्व इस करार का अभिन्न अंग है। अंतरराष्ट्रीय कानून के अंतर्गत अपने अधिकारों और दायित्वों की व्यापकता को सीमित किये बिना संविदाकारी पक्ष विशेषकर 14 सितम्बर 1963 को टोक्यो में हस्ताक्षरित विमान पर किए जाने वाले अपराधों और कतिपय अन्य कृत्यों से संबंधित अभिसमय, 16 दिसम्बर 1970 को हेग में हस्ताक्षरित विमान के गैर-कानूनी अभिग्रहण के अनुरोध से संबंधित अभिसमय और 23 सितम्बर 1971 को मांट्रियल में हस्ताक्षरित नागर विमानन की सुरक्षा के विरुद्ध गैर-कानूनी कृत्यों के निरोध से संबंधित अभिसमय और विमानन सुरक्षा संबंधी ऐसे अन्य अभिसमयों के उपबंधों के अनुरूप कार्रवाही करेंगे जो दोनों संविदाकारी पक्षों पर लागू हों।

2. अनुरोध किए जाने पर संविदाकारी पक्ष गैर-कानूनी रूप से सिविल विमानों का अभिग्रहण किए जाने की

कार्रवाईयों और ऐसे विमानों, उनके यात्रियों, कर्मीदल हवाई अड्डों और हवाई दिक्चालन सुविधाओं के विरुद्ध गैर-कानूनी कृत्यों तथा नागर विमानन की सुरक्षा के लिए किसी भी अन्य खतरे से बचाव के लिए एक दूसरे को सभी संभव सहायता प्रदान करेंगे।

3. दोनों पक्ष अपने परस्पर संबंधों में, उस सीमा तक अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन द्वारा स्थापित और अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन अभिसमय के अनुबंधों के रूप में निर्दिष्ट नागर विमानन सुरक्षा उपबंधों के अनुरूप कार्रवाई करेंगे जहां तक वे सुरक्षा उपबंध संविदाकारी पक्षों पर लागू होते हैं, उनके पंजीकृत विमानों के प्रचालकों या ऐसे विमान के प्रचालकों, जिनका व्यवसाय का प्रमुख स्थान अथवा स्थाई निवास उनके भू-भाग में है तथा उनके राज्य भू-भाग में, हवाई अड्डों के प्रचालकों से वे यह अपेक्षा करेंगे कि वे इन विमानन सुरक्षा उपबंधों के अनुरूप कार्य करें।

4. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष इस बात पर सहमत है कि विमान के इस प्रकार के प्रचालकों को, दूसरे संविदाकारी पक्ष के भू-भाग में प्रवेश के लिए, वहां से प्रस्थान के लिये अथवा उस के अंदर उस दूसरे संविदाकारी पक्ष द्वारा अपेक्षित उपर्युक्त पैरा 3 में उल्लिखित सुरक्षा उपबंधों का अनुपालन करना पड़ सकता है। प्रत्येक संविदाकारी पक्ष को यह सुनिश्चित करनाहोगा कि विमान की सुरक्षा और विमान पर सवार होते समय अथवा लदान के दौरान यात्रियों, कर्मीदल, सामान, माल और विमान भंडार के निरीक्षण के लिए उसके भू-भाग के अंदर प्रभावी और पर्याप्त उपाय लागू किये जाते हैं। प्रत्येक संविदाकारी पक्ष किसी विशेष धमकी से निपटने के लिए विशेष सुरक्षा उपाय करने के बारे में दूसरे संविदाकारी पक्ष से प्राप्त किसी अनुरोध पर सहानुभूतिपूर्वक विचार भी करेगा।

5. यदि किसी सिविल विमान के गैर-कानूनी ढंग से अभिग्रहण किये जाने की घटना की धमकी दिये जाने की कोई घटना घटती है अथवा इस प्रकार के विमान, उसके यात्रियों और कर्मीदल, हवाई अड्डों अथवा विमान दिक्चालन सुविधाओं की सुरक्षा के विरुद्ध कोई कृत्य किये जाते हैं तो संविदाकारी पक्ष इस प्रकार की घटना अथवा धमकी से शीघ्र निपटने के लिए संचार माध्यमों और अन्य उपायों के द्वारा एक दूसरे की सहायता करेंगे।

6. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष ऐसे उपाय करेगा जैसे कि यह व्यवहारिक समझे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कोई विमान, जिसके विरुद्ध गैर-कानूनी अभिग्रहण की कार्रवाई की गई है अथवा गैर-कानूनी हस्तक्षेप की अन्य कार्रवाईयाँ की गई हैं, जो उसके भू-भाग में उतरा है उसे भूमि पर रोका जाए बशर्ते उसका प्रस्थान मानवीय जीवन की सुरक्षा के अभिभावी कर्तव्य द्वारा आवश्यक न हो जाय। जब कभी व्यवहारिक हो, ऐसे उपाय आपसी परामर्श से किये जाएंगे ।

7. यदि एक संविदाकारी पक्ष इस अनुच्छेद के नागर विमानन सुरक्षा संबंधी उपबंधों से विचलित हो जाए तो दूसरे संविदाकारी पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारी दूसरे संविदाकारी पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारियों के साथ तात्कालिक परामर्श का अनुरोध कर सकते हैं ।

सत्यमेव जयते

अनुच्छेद-11

टैरिफ

1. निम्नलिखित पैराओं के प्रयोजन के लिए "टैरिफ" पद का आशय यात्रियों और कार्गो के वहन के लिए अदा की जाने वाली कीमतों और एजेंसी एवं अन्य अनुषंगी सेवाओं की कीमत और शर्तों सहित उन स्थितियों से है जिनके अंतर्गत ये लागू होती हैं लेकिन इसमें डाक के वहन के लिए पारिश्रमिक और उससे संबंधित शर्तें शामिल नहीं है।

2. एक संविदाकारी पक्ष की नामित विमान कंपनी द्वारा दूसरे संविदाकारी पक्ष के भू-भाग से अथवा उसके भू-भाग के लिए वहन किए जाने वाला टैरिफ उचित स्तरों पर निर्धारित किया जाएगा जिसमें परिचालन की लागत, उचित लाभ और गति, आवास तथा सेवा संबंधी अन्य गुणों सहित सभी संगत पहलुओं पर ध्यान दिया जाएगा।

3. इस अनुच्छेद के पैरा 2 में उल्लिखित टैरिफ पर, यदि संभव हो, दोनों संविदाकारी पक्षों की नामित विमान कम्पनियों के बीच सहमति होगी और ऐसा करार, जहां भी संभव हो, अंतरराष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ की पद्धतियों का प्रयोग करते हुए किया जाएगा।

4. इस प्रकार से सम्मत टैरिफ लागू करने की प्रस्तावित तारीख से कम से कम साठ §60§ दिन पहले दोनों संविदाकारी पक्षों के वैमानिकी प्राधिकारियों के पास अनुमोदन के लिए भेजे जाएंगे । विशेष मामले में यदि उक्त प्राधिकारी सहमत हो तो यह अवधि घटाई जा सकती है।

5. यह अनुमोदन शीघ्र दिया जा सकता है। यदि प्रस्तुत करने की तारीख से तीस §30§ दिन की अवधि के भीतर कोई भी वैमानिकी प्राधिकारी अपनी असहमति प्रकट न करे तो इस अनुच्छेद के पैरा 4 के अनुसार वे टैरिफ अनुमोदित समझे जाएंगे। जैसा कि पैरा 4 में उपबंध है, यदि टैरिफ प्रस्तुत करने की अवधि कम की जाती है तो वैमानिकी प्राधिकारी इस बात पर सहमत हो सकते हैं कि वह अवधि जिसके अंतर्गत कोई भी अस्वीकृति अधिसूचित की जानी है, तीस §30§ दिन से कम होगी।

6. यदि नामित विमान कंपनियां इनमें से किसी भी टैरिफ पर सहमत नहीं होती है या अन्य कारणों से इस अनुच्छेद के पैरा 3 के अनुसार टैरिफ निर्धारित नहीं किया जा सकता या इस अनुच्छेद के पैरा 5 के अनुसार लागू अवधि के दौरान एक संविदाकारी पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारी दूसरे संविदाकारी पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारी को इस अनुच्छेद के पैरा 3 के प्रावधानों के अनुसार सहमत टैरिफ की अस्वीकृति का नोटिस देता है तो संविदाकारी पक्षों के वैमानिकी प्राधिकारी आपसी सहमति से टैरिफ निर्धारित करने का प्रयास करेंगे।

7. यदि वैमानिकी प्राधिकारी उपर्युक्त पैरा 4 के अंतर्गत उन्हें प्रस्तुत किए गए टैरिफों के अनुमोदन अथवा पैरा 6 के अंतर्गत टैरिफ के निर्धारण पर सहमत न हो सकें तो इस करार के अनुच्छेद 17 के उपबंधों के अनुसार इस मामले का निपटान किया जाएगा।

सत्यमेव जयते

8· जब तक नए टैरिफ का निर्धारण नहीं कर लिया जाता, तब तक इस अनुच्छेद के उपबंधों के अनुसार निर्धारित टैरिफ लागू रहेगा। तथापि, इस पैरा के आधार पर टैरिफ को उस तारीख के बाद बारह §12§ महीनों से अधिक के लिए नहीं बढ़ाया जा सकता जिस तारीख को यह अन्यथा समाप्त हो जाता।

अनुच्छेद-12
अर्जित राजस्व का अंतरण

1· प्रत्येक संविदाकारी पक्ष, दूसरे संविदाकारी पक्ष की नामित विमानकंपनी को पहले संविदाकारी पक्ष के भू-भाग में अर्जित राजस्व में से व्यय के बाद बचत राशि अपने मुख्यालय को अंतरित करने का अधिकार प्रदान करेगा। इस प्रकार की राशि परिवर्तित मुद्रा में की जाएगी और यह उस संविदाकारी पक्ष के विदेशी मुद्रा विनियमों के अधीन और उसके अनुसार होगा जहां यह राजस्व अर्जित किया गया है।

2· इस प्रकार का अंतरण मुद्रा भुगतान के लिए सरकारी विनिमय दर के आधार पर किया जाएगा अथवा जहां सरकारी विनिमय दर लागू न हो, वहां भुगतान के लिए प्रचलित विदेशी विनियम की मार्केट दर से किया जाएगा।

3· ऐसे मामलों में जहां दोनों संविदाकारी पक्षों के बीच भुगतान के समझौते के लिए विशेष व्यवस्था है, ऐसी व्यवस्था के उपबंधों को, इस अनुच्छेद के पैरा §1§ के अंतर्गत विनियमों के अंतरण पर लागू किया जाएगा।

अनुच्छेद-13
प्रतिनिधित्व

1· एक संविदाकारी पक्ष की नामित विमान कंपनी को, पारस्परिकता के आधार पर दूसरे संविदाकारी पक्ष के भू-भाग में अपने प्रतिनिधि और सम्मत सेवाओं के प्रचालन के लिये यथाअपेक्षित अपने वाणिज्यिक, प्रचालन और तकनीकी स्टाफ रखने की अनुमति दी जायगी। इस स्टाफ का चयन दोनों में से किसी या दोनों पक्षों के राष्ट्रिकों में से किया जाएगा।

2· इन कर्मचारियों संबंधी आवश्यकताएं, नामित विमान कंपनी की राय पर, अपने स्वयं के कार्मिकों द्वारा अथवा दूसरे संविदाकारी पक्ष के भू-भाग में प्रचालन कर रहे किसी अन्य संगठन, कंपनी अथवा विमान कंपनी की सेवाओं का, जिन्हें उस संविदाकारी पक्ष के भू-भाग में ऐसी सेवाओं के निष्पादन के लिए प्राधिकृत किया गया हो, प्रयोग करके पूरी की जा सकती है।

3· प्रतिनिधि और कर्मचारी अन्य संविदाकारी पक्ष की लागू विधियों और विनियमों के अधीन होंगे तथा ऐसी विधियों और विनियमों के अनुरूप, प्रत्येक संविदाकारी पक्ष पारस्परिकता के आधार पर और न्यूनतम विलंब के साथ इस अनुच्छेद के पैरा 1 में उल्लिखित प्रतिनिधियों और कर्मचारियों को आवश्यक कार्य अनुज्ञप्तियां रोजगार वीसा या इसी प्रकार के अन्य दस्तावेज प्रदान करेगा।

सत्यमेव जयते

4· पारस्परिकता के सिद्धांत के आधार पर, प्रत्येक संविदाकारी पक्ष दूसरे संविदाकारी पक्ष की नामित विमान कंपनी को अपने भू-भाग में सीधे और अपने विवेक पर अपने एजेंटों के माध्यम से हवाई परिवहन के बिक्री कार्यों में संलग्न रहने के अधिकार प्रदान करता है । प्रत्येक नामित विमान कंपनी को ऐसे परिवहन की बिक्री करने का अधिकार होगा और कोई भी व्यक्ति स्थानीय या स्वच्छन्दतापूर्वक परिवर्तनीय मुद्रा में इस प्रकार के परिवहन को खरीदने के लिए स्वतंत्र होगा।

अनुच्छेद-14

प्रचालन सूचना की व्यवस्था

1· प्रत्येक संविदाकारी पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारी अपनी नामित विमान कंपनी से अपेक्षा करेंगे कि वह दूसरे संविदाकारी पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारियों को सम्मत सेवाओं के शुरु होने से कम से कम साठ दिन पहले सेवा की किस्म और उसकी आवृत्ति, प्रयोग में लाए जाने वाले विमानों के प्रकार और उड़ान अनुसूचियों के बारे में उनके विचारार्थ और अनुमोदनार्थ सूचना देगी। सम्मत सेवाओं के प्रचालन में जब कभी कोई परिवर्तन किया जाएगा तो उसकी सूचना भी कम से कम 30 दिन पहले दी जाएगी।

2· नामित विमान कंपनियां दूसरे पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारियों के समाधान के लिये ऐसी अन्य अपेक्षित सूचना भी देंगी कि करार की अपेक्षाओं का विधिवत रूप से पालन किया जा रहा है।

अनुच्छेद-15

आंकड़ों की व्यवस्था

दोनों में से प्रत्येक संविदाकारी पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारी अपनी नामित विमान कंपनी से अपेक्षा करेंगे कि वह दूसरे संविदाकारी पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारियों को उस दूसरे संविदाकारी पक्ष के भू-भाग को या वहां से अथवा उस भू-भाग से होकर प्रत्येक मास के दौरान सम्मत सेवाओं पर वहन किए गए यात्रियों से संबंधित आंकड़े, जिसमें प्रारंभिक और गंतव्य स्थान तथा यात्रियों के विमान में सवार होने और उतरने के स्थानों को दिखाया गया हो, प्रस्तुत करेगी। ऐसे आंकड़े यथासम्भव प्रत्येक मास के अंत में प्रस्तुत किए जाएंगे।

अनुच्छेद-16

परामर्श और संशोधन

1· निकट सहयोग की भावना से, इस करार और इसके अनुबंध के उपबंधों के कार्यान्वयन और संतोषजनक ढंग से अनुपालन को सुनिश्चित करने की दृष्टि से, संविदाकारी पक्षों के वैमानिकी प्राधिकारी समय-समय पर परस्पर परामर्श करेंगे।

2· यदि दोनों संविदाकारी पक्षों में से कोई भी पक्ष इस करार के किसी भी उपबंध में संशोधन करना वांछनीय समझे तो वह दूसरे संविदाकारी पक्ष से इस प्रकार के विचार विमर्श के लिए अनुरोध कर सकता है । यदि संविदाकारी पक्षों द्वारा अन्यथा सहमति नहीं हो जाती तो ऐसा विचार विमर्श वैमानिकी प्राधिकारियों के बीच ऐसा अनुरोध प्राप्त होने की तारीख के साठ (60) दिनों की अवधि के भीतर शुरु होगा। इस प्रकार

सत्यमेव जयते

सम्मत कोई भी संशोधन तभी लागू होगा जब राजनयिक टिप्पणियों के आदान-प्रदान द्वारा इसकी पुष्टि कर दी जाए।

3· इस करार के अनुबंध में संशोधन संविदाकारी पक्षों के सक्षम वैमानिकी प्राधिकारियों के बीच सहमति से किया जाएगा और पत्रों के आदान-प्रदान द्वारा इसकी पुष्टि की जाएगी।

अनुच्छेद-17
विवादों का निपटान

1· यदि वर्तमान करार के निर्वचन और प्रवर्तन के संबंध में संविदाकारी पक्षों के बीच कोई विवाद पैदा होता है तो संविदाकारी पक्ष सबसे पहले इसे बातचीत द्वारा हल करने का प्रयास करेंगे।

2· यदि संविदाकारी पक्ष बातचीत द्वारा इसका समाधान करने में असफल रहते हैं तो वे विवाद को निर्णय के लिये किसी व्यक्ति या संस्था को भेजने के लिये सहमत हो सकते हैं। यदि वे इस पर सहमत नहीं होते तो विवाद किसी भी संविदाकारी पक्ष के अनुरोध पर, तीन मध्यस्थों के एक न्यायाधिकरण को निर्णय के लिये सौंपा जाएगा। इन मध्यस्थों में से एक-एक दोनों संविदाकारी पक्षों द्वारा नामित किये जाएंगे और तीसरे की नियुक्ति दोनों मध्यस्थों द्वारा की जाएगी। तीसरा मध्यस्थ इस न्यायाधिकरण के प्रेजीडेंट के रूप में कार्य करेगा। प्रत्येक संविदाकारी पक्ष, किसी भी संविदाकारी पक्ष से राजनयिक माध्यम से विवाद की मध्यस्थता के लिये नोटिस प्राप्त होने की तारीख से साठ (60) दिन की अवधि के भीतर एक मध्यस्थ को नामित करेगा और तीसरे मध्यस्थ की नियुक्ति और आगे साठ (60) दिन की अवधि के भीतर की जाएगी। यदि दोनों में से कोई भी संविदाकारी पक्ष निर्दिष्ट अवधि के भीतर ऐसे मध्यस्थ को नामित करने में असफल रहता है, अथवा यदि तीसरे मध्यस्थ की नियुक्ति निर्दिष्ट अवधि में नहीं की जाती है तो दोनों में से कोई भी संविदाकारी पक्ष अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन के प्रेजीडेंट से मध्यस्थ या मध्यस्थों की नियुक्ति के लिये अनुरोध कर सकता है। किसी भी हालत में, तीसरा मध्यस्थ किसी तीसरे राष्ट्र का राष्ट्रिक होगा और मध्यस्थता निकाय के प्रेजीडेंट के रूप में कार्य करेगा।

3· यह मध्यस्थता न्यायाधिकरण अपनी कार्यविधि निर्धारित करेगा और मध्यस्थता संबंधी अंतरिम और अंतिम लागतों के विभाजन के संबंध में निर्णय लेगा।

4· संविदाकारी पक्ष इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 2 और 3 के अंतर्गत दिये गए किन्हीं भी निर्णयों का पालन करने के लिए वचनबद्ध होंगे।

अनुच्छेद-18
बहुपक्षीय हवाई अभिसमयों की प्रयोज्यता

1· जहाँ तक अभिसमय के उपबंध इस करार के अधीन स्थापित हवाई सेवाओं पर लागू होते हैं, ये उपबंध

सत्यमेव जयते

करार की अवधि के दौरान संविदाकारी पक्षों के बीच अपनी वर्तमान स्थिति में लागू रहेंगे, जब तक दोनों संविदाकारी पक्ष अभिसमय में किसी संशोधन का अनुसमर्थन नहीं कर देते, जो कि विधिवत रूप से प्रवर्तन में आ जाएगा और उस स्थिति में यथा-संशोधित अभिसमय इस करार की अवधि के दौरान लागू रहेगा।

2. यदि दोनों संविदाकारी पक्षों के संबंध में सामान्य बहुपक्षीय हवाई अभिसमय प्रवर्तन में आये तो ऐसे अभिसमय के उपबंध अभिभावी होंगे।

<u>अनुच्छेद-19</u>

<u>अनुबंध</u>

इस करार के साथ संलग्न अनुबंध इस करार का हिस्सा माना जाएगा और सिवाय जहाँ स्पष्ट रूप से अन्यथा व्यवस्था न हो, करार से संबंधित सभी संदर्भों में अनुबंध के लिये संदर्भ भी शामिल होगा।

<u>अनुच्छेद-20</u>

<u>पंजीकरण</u>

यह करार और इससे संबद्ध सभी संशोधन अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन की परिषद के पास पंजीकृत किये जाएंगे।

<u>अनुच्छेद-21</u>

<u>समाप्त करना</u>

कोई भी संविदाकारी पक्ष किसी भी समय राजनयिक माध्यमों के जरिए वर्तमान करार को समाप्त करने के लिए दूसरे संविदाकारी पक्ष को लिखित नोटिस दे सकता है। ऐसा नोटिस साथ-साथ ही अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन की परिषद को भी भेजा जाएगा। ऐसी स्थिति में, दूसरे संविदाकारी पक्ष द्वारा नोटिस प्राप्त होने की तारीख से बारह (12) मास बाद यह करार समाप्त हो जाएगा, बशर्ते कि इस अवधि के पूर्व ही सहमति से समापन का यह नोटिस वापस नहीं ले लिया जाता। दूसरे संविदाकारी पक्ष द्वारा प्राप्ति सूचना न भेजे जाने की स्थिति में, यह नोटिस अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन द्वारा प्राप्त किये जाने की तारीख से चौदह (14) दिन बाद प्राप्त हुआ मान लिया जाएगा।

<u>अनुच्छेद-22</u>

<u>प्रवर्तन में आना</u>

आवश्यक संवैधानिक प्रक्रियाओं का अनुपालन करने के बाद यह करार हस्ताक्षर की तारीख को प्रवर्तन में आएगा।

सत्यमेव जयते

इसके साक्ष्य के रूप में, अपनी-अपनी सरकारों द्वारा विधिवत रूप से प्राधिकृत किये जाने पर, निम्न-हस्ताक्षरकर्ता सर्वाधिकारियों ने वर्तमान करार पर हस्ताक्षर किये।

दिनांक 10 सितम्बर, 1993 को अलमाती में हिन्दी, कज़ाख और अंग्रेजी भाषाओं में प्रत्येक की दो-दो मूल प्रतियों पर हस्ताक्षर किये गए जिनमें सभी पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं। इनके निर्वचन में कोई भी मत-भेद होने की स्थिति में अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

कृते भारत गणतंत्र सरकार

कृते कज़ाखस्तान गणराज्य सरकार